ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 182-184

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-II, Issues-20, YEAR- June-2021

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका

डॉ0 अलका तिवारी
Email- - alkatiwari151@gmail.com

Received- 04.06.2021, Revised- 08.06.2021, Accepted - 10.06.2021

सारांश : *'भारत प्राचीनकाल से ही विश्वगुरू रहा है। अपने उच्च स्तरीय शिक्षा स्थलों जैसे नालन्दा, तक्षशिला आदि के बल पर इसकी तूती पूरे विश्व में बोलती थी। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने को आते थे। शिक्षा स्थल ही वो केन्द्र बिन्दु है जहाँ से राष्ट्र का निर्माण और विनाश दोनों ही सम्भव हो सकते है। आजादी के बाद से ही शिक्षा को ही हर बार परिवर्तन का माध्यम माना जाने लगा है। शिक्षा में हर बार नये प्रयोग कर विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता रहा है। जितने प्रयोग इस क्षेत्र में होते है उतने शायद ही किसी अन्य क्षेत्र में होते होंगे। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा पर अनेक परिवर्तन समय समय पर किए जाते रहे है लेकिन फिर भी यह लगता रहा है कि हर बार कुछ न कुछ छूट रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस अभाव को पूरा करने का एक प्रयास किया गया है। नई शिक्षा नीति को सही तरीके से लागू करने में शिक्षक की भूमिका अहम है शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख स्तम्भ है।*

कुंजीभूत शब्द– विश्वगुरू, उच्च स्तरीय शिक्षा, तक्षशिला, शिक्षा ग्रहण।

शिक्षक वह पद प्रदर्शक होता है जो हमें किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। शिक्षकों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण और कठिन है। एक अच्छे गुरू का मिलना बहुत दुर्लभ है। गुरू ही नई पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देकर समाज और देश के लिए नई पीढ़ी तैयार करते है। उनका सम्मान करना हम सबके लिए गौरव की बात है।

जहाँ शिक्षा मानव क्षमता को प्राप्त करने एक न्याय संगत और न्याय पूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूल भूत आवश्यकता है वही शिक्षा नीति को पूर्णतया धरातल पर उतारने में शिक्षकों की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता।

देश की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप ढालना सरकार के लिए एक चुनौतिपूर्ण कार्य था लेकिन देश के प्रबुद्ध शिक्षाविदों और कुशल प्रशासकों ने इसे कर दिखाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ड्राट को अंतिम रूप देना और उसे केन्द्रीय मंत्रीमंडल की मंजूरी प्रदान करना वास्तव में सहज कार्य नहीं था लेकिन मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा करके दिखा दिया कि वह देश के युवाओं को सक्षम बनाने के लिए कितनी तत्पर है। दशकों से 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने व युवाओं को समर्थ बनाने हेतु नई शिक्षा नीति की कमी महसूस हो रही थी। विगत 34 वर्षों से गतिमान हमारी शिक्षा व्यवस्था में बीते एक दशक से अनेकों त्रुटियाँ पनपती ही जा रही थी। फलस्वरूप बीते कुछ वर्षों से शिक्षा मंत्रालय नई शिक्षा नीति पर गहन चिंतन कर रहा था। एक मैराथन मंथन के उपरान्त आखिरकार मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी।

नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में शिक्षकों की भूमिका को भी केन्द्रित किया गया। नई शिक्षा नीति में सरकार ने छोटे–छोटे बदलावों से लेकर बड़े–बड़े प्रावधान करके शिक्षा के प्रारूप को परिवर्तित करने का प्रमुखता से जिक्र किया है। ताकि समाज के प्रत्येक तबके तक ज्ञान का प्रकाश पहुँच सकें। क्या शिक्षक क्या शिक्षार्थी, क्या अद्योसंरचना, क्या गुणवत्ता, क्या तकनीकी, क्या संवाद, क्या कागजी क्या, व्यवहारिक नई शिक्षा प्रणाली में नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षार्थियों तक के लिए समग्र विकास हेतु अनेकों बुनियादी परिवर्तन करने की बातें कही गई है। यूँ तो नई शिक्षा प्रणाली में अनेकों स्तुतियाँ प्रस्तुत की गई है पर शिक्षकों की भूमिका, भर्ती, योग्यता, कार्यक्षमता, कार्यशैली आदि के लिए किए गए प्रावधान कुछ विशिष्ट है।

उत्कृष्ट विद्यार्थी ही विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षण पेशें में प्रवेश कर पाएं यह सुनिश्चित करने के लिए एक उत्कृष्ट 4. वर्षीय एकीकृत बी0एड0 कार्यक्रम में अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में मेरिट आधारित छात्रवृत्ति देश भर में स्थापित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ विशेष मेरिट आधारित छात्रवृत्ति को स्थापित किया जाएगा जिसके तहत चार वर्षीय बी0एड0 डिग्री सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्थानीय इलाकों में निश्चित रोजगार भी शामिल होगा।

शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट किया गया है कि आगामी दो दशक तक देश में योग्य अध्यापकों की नियुक्ति पर बल दिया जाएगा। अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु अनेकों प्रबंधन किए जाएंगे। शिक्षकों को भावी भविष्य में इस कद्र प्रशिक्षित किया जाएगा कि वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह बेहतरीन ढंग से कर सकें। नई सिफारिशों के तहत शिक्षकों की नियुक्ति में स्थानीय भाषा शैली में अध्यापक की पारंगता को प्रमुखता दी जाएगी। ताकि वह बच्चों की मन की बात सहजता से समझ सकें और उसे इच्छा अनुरूप तराश सकें। नीति में ग्रामीण शिक्षकों को आदर्श बनाने की बात भी कही गई है ताकि उनकी शहरी क्षेत्रों की ओर दौड़ने की मंशा पर

एसोसिएट प्रोफेसर– चित्रकला विभाग, एन0ए0एस0 कॉलेज, मेरठ (उ0प्र0), भारत

अनुरूपी लेखक

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
I S S N N O . - 2 3 4 7 - 2 9 4 4 (Print)
e-I S S N N O . - 2 5 8 2 - 2 4 5 4 (Online)
Vol.-14, No.-II, Issues-20, YEAR- June-2021

अंकुश लग सकें। ग्रामीण शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार गाँवों में आवासीय पाठशालाएँ शुरू करेंगी। इसी तरह शिक्षकों की व्यवस्था के तहत आंगनबाडी में कार्यरत 12वीं पास कार्यकर्ताओं को ईसीसीई के अन्तर्गत छह माह का प्रशिक्षण व इससे कम शिक्षित कार्यकर्ताओं को एक वर्षीय विशेष डिप्लोमा करवाने की अनुशंसा की गई है। जबकि दिव्यांगों को पढ़ने वाले अध्यापकों को भी मंत्रालय अतिरिक्त प्रशिक्षण करवाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति के व्यवहार से शिक्षकों की जिम्मेदारियों में बढ़ोत्तरी के साथ–साथ अध्यापकों को व्यक्तिगत रूप से अनगिनत प्रतिफल हासिल हो सकते हैं। नई प्रणाली के क्रियान्वयन से शिक्षकों को बेवजह तबादलों की खातिर दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। अब ट्रांसफर का भय अध्यापकों को नहीं सताएगा। क्योंकि तबादलों को अब एक निश्चित अवधि के उपरान्त पारदर्शी प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया है।

शिक्षक और समुदाय के बीच संबंध बने और वह अपने समुदाय से जुड़ा रहे जिससे विद्यार्थियों को रोल मॉडल और शैक्षिक वातावरण मिले सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक शिक्षक स्थानान्तरण की हानिकारक प्रैक्टिस पर रोक लगायी जाएगी। राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा निर्धारित तरीके से स्थानान्तरण बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किए जाएंगे। इसके अलावा पारदर्शिता बनाये रखने के लिए स्थानान्तरण तक ऑनलाइन सॉटवेयर आधारित व्यवस्था के द्वारा किये जायेंगे।

उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

कार्य काल अवधि या वरिष्ठता के बजाय निर्धारित मानकों के आधार पर पदोन्नति और वेतन में वृद्धि होगी।

योग्यता के आधार पर शिक्षकों की वर्टिकल मोबिलिटी भी सर्वश्रेष्ठ होगी, उत्कृष्ट शिक्षक जिन्होंने लीडरशिप और मैनेजमेंट के कौशलों को दर्शाया होगा, उनको समय के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे वे आगे चलकर स्कूल, स्कूल कॉम्पलैक्स, बी0आर0सी0, सी0आर0सी0, बी0आई0टी0ई0, डी0आई0ई0टी0 के साथ–साथ संबंधित सरकारी विभाग और मंत्रालय में अकादमिक नेतृत्व कर सकेंगे।

विषयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से कला, शारीरिक, शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और भाषाओं जैसे विषयों में शिक्षकों को एक स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में भर्ती किया जा सकता है, स्कूलों में शिक्षकों की साझेदारी को राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपनाई गई ग्रुपिंग ऑफ स्कूल प्रारूप के अनुसार किया जा सकता है।

सेवाकालीन प्रशिक्षण में स्कूलों में कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इनपुट होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक इन आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों।

प्राथमिक लक्ष्य शिक्षकों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना होगा। लीडरशिप और मैनेजमेंट को लगातार विकसित करने के लिए एक समान मॉड्यूलर लीडरशिप/मैनेजमेन्ट कार्यालय और ऑनलाईन विकास के अवसर होंगे।

नई शिक्षा नीति स्वामी विवेकानंद, रविन्द्र नाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन पर आधारित है। जिससे विद्यार्थियों को जहाँ तक संभव हो प्रत्यक्ष स्त्रोत से ज्ञान प्राप्ति का मौका मिलेगा।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार–

1. शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था रहेगी और समय–समय पर किए गए कार्य–प्रदर्शन आंकलन के आधार पर उनकी पदोन्नति का प्रावधान रहेगा।
2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (छंजपवदंस च्तवमिेपवदंस ैजंदकंतके वित ज्मंबीमते.छच्ैज्) का विकास किया जाएगा।
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा छब्म्त्ज् के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework for Teachers-NCFTE) का विकास किया जाएगा।
4. वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी0एड0 डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और पेशे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत अवसर दिये जाएंगे। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ–साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉडयूल के रूप में कई तरीकों में पेश किया जाएगा। प्लेटकॉर्म (विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफार्म) विकसित किए जाएंगे ताकि शिक्षक विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वे स्वंय के व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के सीपीडी कार्यक्रम में हिस्सा लें। सीपीडी के अवसरों में विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के नवीनतम शिक्षणशास्त्र, अधिगम परिणामों के रचनात्मक और अनुकूल आंकलन, योग्यता आधारित अधिगम और संबंधित शिक्षणशास्त्र जैसे अनुभवात्मक शिक्षण, कला एकीकृत, खेल एकीकृत, और कहानी आधारित दृष्टिकोण, आदि को क्रमबद्ध रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण के उन पहलुओं को चयनित करने के लिए ज्यादा स्वायत्तता

ASVP PIF-8.500 /ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-II, Issues-20, YEAR- June-2021

दी जायेगी।

शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकर देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते है। इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे। विद्यार्थियों के निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षण या गुरूओं को उनके जरूरत की सभी चीजें प्रदान करता था। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापन, सेवा शर्तें, और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और इसके परिणामस्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों का प्राप्त नहीं कर पाता है। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा ताकि शिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके।

निष्कर्ष– नई शिक्षा नीति में स्पष्ट किया गया है कि जब तक देश का शिक्षक सन्तुष्ट नहीं होगा तब तक देश में हजारों कॉलेज व विश्वविद्यालय खोलने का कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए तब मंत्रालय में निश्चित किया है कि देश में नये शिक्षण संस्थान तभी खोले जाएंगे जब विभाग के पास पर्याप्त शिक्षक हो। नये संस्थान खोलने से पूर्व विभाग क्षेत्र में अध्यापकों की सुख सुविधाओं को भी भली भांति सुनिश्चित करेगा। इतना ही नहीं नई व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण, सेवाकाल, वेतन भत्ते, पदोन्नति, आवासीय सुविधाओं के साथ–साथ अन्य सहुलियतों पर भी बल दिया गया है। अतः उम्मीद है कि नई शिक्षा प्रणाली देश के शैक्षणिक माहौल को अनुकूलित बनाने में सफल होने के साथ–साथ राष्ट्र की प्रगति में भी विशेष योगदान देगी तथा साथ ही भावी भविष्य में भारत को दुनियाभर में शिक्षा का सिरमौर बनाएगी। सुरेन्द्र कुमार (स्वतन्त्र लेखक, शिक्षक और विचारक) मंडी, हिमाचल प्रदेश।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमार सुरेन्द्र, कुमार की कलम से, अपना प्लाग, अगस्त 25, 2020.
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ0सं0 30–32.
3. परिहार, प्रेम, राजस्थान, पृ0सं0 109.
4. Hans Hodh Sudha, Vol. 1, Issue 3, 2021, p. 59-62.
5. https://www.jagran.com. 10 March 2021.

*****